

फर्द डिकी मुकदमात इब्दाई

आर.रूल्स 6-7 जाप्ता दीवानी

निर्णय बइजलास सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा

प्रकरण संख्या : 125/2021

तारीख दायरा 21.09.2021

उनवान

मुगलेश गोचर पुत्री स्व. लालचन्द्र पत्नि देशराज जाति गूर्जर निवासीनी घानाहेडा तहसील सांगोद जिला कोटा हाल निवासीनी नीलकण्ठ कोलोनी अन्ता तहसील अन्ता जिला बांरा। - वादीनी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये लेंड होल्डर तहसीलदार साहब तहसील सांगोद। - प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 209 आर. टी. एक्ट 1955

उपस्थित :-

श्री मोहन लाल पोटर (वकील वादीनी)

दिनांक :- 14.01.2022

श्री सरकार पैरोकार

आज यह मुकदमा वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मुझ सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) व हाजरी श्री मोहन लाल पोटर मिन जानिब मुदई रूबरू श्री ..... मिन जानिब मुददायल पेश होकर आदेश दिया जाता है कि-

माल ग्राम घानाहेडा पटवार हलका नाहरिया तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान की निम्न आराजी स्थित है :-

खाता संख्या	नई	पुरानी	खसरा नम्बर	रकबा
	104	23	237	0.0700 है.
			351	0.0700 है.
			352	0.0200 है.

प्रमाणित प्रमाणित

उपखण्ड अधिकारी, सांगोद

उपखण्ड अधिकारी, सांगोद

353	0.0200 है.
355	0.5800 है.
488/78 उत्तरी	0.5200 है.
59	0.8300 है.

कुल कित्ता 7 की 2.11 हैक्टर आराजी

उक्त आराजी के राजस्व रिकार्ड में वादीनी का नाम गोलू पुत्री लालचन्द्र के स्थान पर गोचर पुत्री लालचन्द्र अंकित करने के आदेश दिये जाते हैं। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। विवादित आराजी पर रहन भार होने की स्थिति में बैंक चार्ज प्रथम होने के कारण रहन भार यथावत रहेगा।

(अंजना सहरावत)  
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

निर्णय आज दिनांक 14.01.2022 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

(अंजना सहरावत)  
उपखण्ड अधिकारी सांगोद



कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट सांगोद, कोटा

क्रमांक-

दिनांक-

तहसीलदार,  
तहसील सांगोद।

विषय:- इजराय संख्या ३३/२०२२ उनवान मुगलेरा बनाम  
राजल्लो हाका मुताबिक निर्णय पालना बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि मिसल नं० ३३/२०२२ उनवान मुगलेरा  
बनाम राजल्लो हाका के न्यायालय में दिनांक १५-०१-२०२२ को  
निर्णय-डिक्री पारित किया जा चुका है। पत्र के साथ पुनः निर्णय डिक्री की छाया प्रति  
भिजवायी जा रही है। अतः प्रकरण में मुताबिक निर्णय (अगर किसी अन्य उच्च न्यायालय से  
स्थगन आदेश न हो) आगामी तारीख पेशी दिनांक २५/६/२२ से पूर्व पालना करना  
सुनिश्चित करें।

सलंगन-

निर्णय-डिक्री की छाया प्रति

अंजना सहरावत

उपखण्ड अधिकारी  
सांगोद जिला कोटा

सांगोद

32/22

कार्यालय तहसीलदार (भू० अभि०) सांगोद जिला कोटा

क्रमांक/LR/2023/788

दिनांक-16/03/23

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय,  
सांगोद।

विषय:- न्यायालय से जारी डिक्री आदेशों की पालना बाबत।

मान्यवर,


उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि श्रीमान के न्यायालय प्र० सं०.....125/2021

उनवान.....सुगलेका गोचर / राजलरकार.....में जारी डिक्री दिनांक

21/09/21 की पालना में ग्राम.....व्यागहेडा.....में नामान्तरकरण सं.....283

दिनांक.....14/5/22को दर्ज किया जाकर राजस्व रेकार्ड में अमल कर पालना कर दी गयी है। नकल जमाबंदी संलग्न है। इसमें कोई कार्यवाही शेष नहीं है।

अतः पालना रिपोर्ट सादर प्रेषित है।

  
तहसीलदार (भू० अभि०)  
तहसील सांगोद जिला कोटा

## जमाबन्दी प्रतिलिपि (सिर्फ देखने हेतु)

प्रपत्र पी-26 (सी)  
(देखिये नियम 153 ए)

सम्बत :- 2074 - 2077

भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार

क्षेत्रफल की ईकाई :- हेक्टेयर

खाता संख्या नया :- 104

खाता संख्या पुराना :- 23

नाम :- घानाहेडा  
हल्का :- नाहरिया  
पति :- विनोदखुर्द  
सौगोद  
कोटा

पर का नाम:-  
पुत्र गोचर पुत्री लालचन्द हिस्सा- 1/5 जाति- गूजर सा. देह खातेदार  
बाराण पुत्र लालचन्द हिस्सा- 1/5 जाति- गूजर सा. देह खातेदार  
पुत्री लालचन्द हिस्सा- 1/5 जाति- गूजर सा. देह खातेदार  
कुमारी पुत्री लालचन्द हिस्सा- 1/5 जाति- गूजर सा. देह खातेदार  
बाई पति स्व. लालचन्द हिस्सा- 1/5 जाति- गूजर सा. देह खातेदार,

खण्ड संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण	कृषक द्वारा संदत्त लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
0.0700	बारानी प्रथम	0.0700	0.56		स्वीकृत नामान्तरकरण : 318 22/05/2019	विरासत
0.0700	चाही तृतीय	0.0700	1.54		स्वीकृत नामान्तरकरण : 321 03/06/2019	रहनमुक्त
0.0200	बारानी प्रथम	0.0200	0.16		स्वीकृत नामान्तरकरण : 383 19/05/2022	न्याया. आदेश
0.0200	बारानी तृतीय	0.0200	0.10			
0.5800	चाही तृतीय	0.5800	12.76			
0.5200	चाही तृतीय	0.5200	11.44			
0.8300	चाही तृतीय	0.8300	18.26			
7	2.1100	2.1100	44.8200			

केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।

प्रयोग किसी भी न्यायालय में साक्षी के रूप में नहीं किया जा सकता है।

G